न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर, जिला हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– चंचल वर्मा आर.ए.एस.
अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रकरण संख्या–11/2018

1. जाकीर हुसैन पुत्र याकुब खां जाति मुसलमान निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– अपीलांट

बनाम

1. रेखा पत्नी संजय कुमार खदरिया अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर
2. मोहम्मद रफीक पुत्र याकुब खां जाति अराई मुसलमान निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
3. सादकअली पुत्र याकुब खां जाति अराई मुसलमान निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
4. हमीदा पुत्री याकुब जाति अराई मुसलमान निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
5. बलकीश पुत्री याकुब जाति अराई मुसलमान निवासी ढाणी अराई तहसील नोहर।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, नोहर तहसील नोहर

– रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः–श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता अपीलांट
श्री आन्नद उपाध्याय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–रेस्पोडेन्ट संख्या–1
श्री कुलदीप सिंह खुड़िया अधिवक्ता अधिवक्ता रेस्पो.संख्या–2,3,5

निर्णय दिनांकः– 12-01-2023

प्रार्थी जाकिर हुसैन पुत्र याकुब जाति अराई मुसलमान साकिन ढाणी अराईयान तहसील नोहर द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य निम्न प्रकार है–

आराजी जरई खाता संख्या 98/128 के प.न. 319/419 के मु.न. 33 के कि.न. 22/2 की 0.1260 हेक्टेयर कि.न. 23 की 0.253 हेक्टेयर, कि.न. 24 की 0.253 हेक्टेयर, किला नं. 25 की 0.253 हेक्टेयर, प.न. 320/419 मु.न. 34 के किला नं0 21 की 0.253 है0 प.नं0 323/419 के मु.न. 37 के किला नं. 6 की 0.253 हेक्टेयर, कि.नं. 7 की 0.1270 हेक्टेयर, कि.न. 13 की 0.1260हेक्टेयर, कि.न. 14 की 0.2400 हेक्टेयर कि.न. 15 की 0.253 हेक्टेयर, कि.न. 17 की 0.253 हेक्टेयर, 21 की 0.1900है0 कि.न. 22 की 0.1520 हेक्टेयर, 23 की 0.253है0, कि.न. 24 की 0.253है0, प.नं. 323/420. मु.न. 42 के कि.न. 3 की 0.2280है0, प.न. 322/420 के मु.न. 43 के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

कि.न. 5 की 0.1640है0, प.न. 321/420 मु.न. 44 के कि.न. 22 की 0.253है0, प.न. 320/420 के मु.न 45 के कि.न. 1 की 0.253है0, किला नं0 10 की 0.253है0 किला नं0 11 की 0.253है0, प.न. 319/420 मु.न. 46 के कि.न. 2 की 0.253है, किला 3 की 0.253है0, किला नं0 4 की 0.253है0, किला नं0 5 की 0.2270है0, किला नं0 6 की 0. 2280है0, कि.न. 7 की 0.253है, किला नं0 8 की 0.253है0, किला नं0 13 की 0. 253है0, प.न. 321/421 किला नं. 49 के कि.न. 2 की 0.2270है0, किला नं0 9 की 0. 253है0, किला नं0 12 की 0.263है0, किला नं0 13 की 0.253है0, प.न मु.न. 80/28 के कि.न. 0/1 की 0.1010 है0 गै0 मु0 खाला प0नं. मु. 80/33 के कि.न. 0.0510है0 गै0 मु0 रास्ता मु.न. 83/36 के कि.न. 0 की 0.0760है0 गै0मु0 खाला, प.न. 0 मु.न. 83/37 के कि.न 0 की 0.0250है0 गै0मु0 खाला कुल किता 51 की 11.1190है0 भूमि में से नहरी 10.8660है0, गै0मु0 रास्ता 0.0510है0, गै0मु0 खाला 0.02020 है0 भूमि बाके रोही मौजा चक 28 एनटीजार तहसील नोहर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ता 5 की मुश्तरका खातेदारी भूमि है। जिसमें अपीलांट 3.359 हेक्टेयर व रेस्पोडेन्ट नं0 की 0.506 हेक्टेयर, रेस्पोडेन्ट नं. 2 की 3.232 हेक्टेयर, रेस्पोडेन्ट न. 3 की 3.326 हेक्टेयर तथा रेसीडेन्ट नं. 4 व 5 दोनो की 0.6960 हेक्टेयर की मुश्तरका खातेदारी काश्तकार है तथा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट नं.–1 ता 5 ने अपनी उपरोक्त मुश्तरका खातेदार भूमि खाता स. 98/128 की कुल 11.1190 हेक्टेयर का खाता विभाजन करवानें का प्रार्थना पत्र मातहत अदालत में प्रस्तुत किया मगर मातहत अदालत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत विभाजन नियम विरूद्ध स्वीकार किया है। तथा मातहत अदालत को इस तरह एक सह काश्तकार का खाता अलग करना तथा अन्य सह काश्तकारों का खाता व लगान संयुक्त रखनें का कोई अधिकार नही है। तथा मातहत अदालत ने अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ निर्णय पारित किया है। जिससे अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होती है। तथा उसके खातेदारी हक का हनन होता है। जिसमें अपीलांट निर्णय दिनांक 05.09.2017 बअदालत मातहत को अपास्त करवाने हेतु यह अपील निम्न लिखित आधार पर प्रस्तुत की है।–

1. यह कि निर्णय दिनांक 05.09.2017 बअदालत मातहत बखिलाफ कानून नियम व वाक्यात व दादा मिसल है। तथा विधि की भयंकर अवहेलना में पारित किया है। सत्य प्रतिलिपि निर्णय दिनांक 05.09.2017 संलग्न अपील है।
2. यह कि मातहत अदालत ने बिना किसी नियम कायदें के कतई मनमाना स्वेच्छाचारी व नियम विरुद्ध निर्णय पारित किया है। जो काबिल खारिजी है।
3. यह कि मातहत अदालत को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 53 आर.टी.ए. के अन्तर्गत विभाजन सहमति से करने का अधिकार नहीं है। तथा मातहत अदालत का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 (2) के अन्तर्गत आपसी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सहमती से समस्त सह काश्तकार का हक व हिस्सा के मुताबिक विभाजन करने का अधिकार है। मगर वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 98 की कुल 11.1190है0 मातहत अदालत ने रेस्पोडेन्ट संख्या–1 का खाता अलग किया है। तथा अन्य सहकाश्तकारों का संयुक्त रखा है। तथा इस तरह की घोषणात्मक डिक्री बिना सक्षम कोर्ट के मातहत अदालत को पारित करने का अधिकार नहीं था तथा मातहत अदालत नें अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना में निर्णय दिनांक 05.09.2017 पारित किया है। जो कि नियम विरुद्ध होने की वजह से काबिल खारिज है।

4. यह कि मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 05.09.2017 निर्णय की परिभाषा में नही आता है तथा मातहत अदालत ने अपना न्यायिक स्वविवेक काम में नही लिया है तथा निर्णय इस आधार पर काबिल निरस्तनीय है।
5. यह कि मातहत अदालत ने रेस्पोडेन्ट नं0–1 को गलत विधि विरुद्ध तरीके से जल्दबाजी में कानून के मान्य सिद्धान्तों की कोई पालना ना करते हुए अच्छी किस्म की भूमि के लिए बिना सक्षम कोर्ट के आदेश के रेस्पीडेन्ट नं0–1 को खातेदार काश्तकार घोषित कर व अभय सह काश्तकारों का मुश्तरका खाता रख कर कानूनी गलती की है तथा निर्णय दिनांक 05.09.17 इसी आधार पर काबिल अपास्तनीय है।
6. यह कि अन्य वजूहात अपील वर वक्त बहस किये जावेगे।
7. यह कि अपील काबिल समाअत अदालतवाला है। तथा निर्धारित कोर्ट फीस पर पेश है। तथा ज्ञान में अन्दर मियाद है। तथा देरी को माफ करने हेत अलग से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। लिहाजा यह अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 05.09.17 बअदालत मातहत अपास्त फरमाया जावे ।

प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या– 1 की ओर श्री आन्नद उपाध्याय एडवोकेट उपस्थित हुये एंवम रेस्पोडेन्ट संख्या– 2, 3, 5 की ओर से श्री कुलदीप सिंह खुड़िया एडवोकेट उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या–4 जरिये नोटिस तामिल करवानें के उपरान्त न तो स्वंय उपस्थित हुये ओर न ही उनकी और से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुये। बार–बार अवाज लगाई लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या–4 उपस्थित नहीं हुये। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या–4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।। रेस्पोडेन्ट संख्या–6 को जरिये नोटिस तलब किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया।

अधिवक्ता अपीलांट श्री विजयसिंह कड़वासरा एंव अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या –1 श्री आन्नद उपाध्याय एंव अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–2, 3, 5 श्री कुलदीप सिंह

12.1.25.
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

खुड़िया उपस्थित हुये। अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में निम्न तथ्य प्रस्तुत किये–

(1) अपील में विचाराधीन भूमि संयुक्त खाता की भूमि है जिसका मातहत अदालत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या–1 का खाता तकसीम किया और घोषणा कर दी जो उनके क्षेत्राधिकार में नहीं था। अकेले रेस्पोडेन्ट संख्या–1 का ही खाता विभाजन कर दिया। इस संबध में निम्न दृष्टांत प्रस्तुत किये–(क) RRD 1973 page no. 53

(ख) RRD 1992 page no. 117

(2) यदि क्षेत्राधिकार के आधार पर अपील प्रस्तुत की जाती है तो म्याद देखी जानी जरूरी नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या– 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि बंटवारा सहमति से हुआ है। आपसी झगड़े के कारण मुझे परेशान किया जा रहा है। चूंकि रेस्पोडेन्ट संख्या–1 Bonafide purchaser हूँ, मुझे उक्त विवाद से कोई लेना–देना नहीं है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या– 2, 3, 5 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेखा देवी पत्नी संजय कुमार खदरीया अग्रवाल निवासी नोहर को जब भूमि का बैचान किया गया था, तो सभी काश्तकारों ने सहमति से हस्ताक्षर किये थे। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर में बलकीश बनाम रफीक मोहम्मद आदि अनवान का उक्त भूमि का खाता विभाजन का बाबत दावा विचाराधीन है एंव स्थगन आदेश पारित किया हुआ है। प्रस्तुत अपील म्याद आधार पर भी खारिज योग्य है।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न सहमति के आधार पर बंटवारा प्रार्थना पत्र एवं उस प्रार्थना पत्र के आधार पर दिए गए विभाजन निर्णय का अवलोकन भी किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर सभी खातेदारों के हस्ताक्षर दर्ज है एवं उसी के आधार पर खाता विभाजन किया गया है, जो कि दिनांक 05.09.2017 को किया गया। उपखण्ड अधिकारी के यहां दर्ज दावा बंटवारे का है, जो कि 05.04.2018 को दर्ज रजिस्टर हुआ है। जो कि सहमति से करवाए गए बंटवारे के पश्चातवर्ती स्थिति है। जिस प्रकार की सहमति पक्षकारों द्वारा दी गई है, उसी अनुसार विभाजन किया गया है। अन्य पक्षकारों में यदि विवाद है, तो इस हेतु दावा धारा 53 RTA के तहत विचाराधीन है। ऐसे में सहमति के आधार पर हुए विभाजन को किसी प्रकार से नकारा नहीं जा सकता।

रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत म्याद के बिन्दु पर वकील अपीलांट ने कथन किया कि क्षेत्राधिकार के आधार पर किए गए निर्णय के बिंदु पर ही अपील प्रस्तुत की गई है, ऐसे में म्याद देखी जानी जरूरी नहीं है। अपीलांट की तरफ से प्रस्तुत दृष्टांतो का भी अध्ययन किया गया। परन्तु ये दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। सहमति

12.1.21
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

के आधार पर प्रस्तुत आवेदन के आधार पर आदेश करके मातहत अदालत ने गलती नहीं की है। अपील अपीलांट स्वीकार करने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा मूल पत्रावली मय इस निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर अधीनस्थ न्यायालय को लौटाया जावे।

12.1.23

(चंचल वर्मा R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)